



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66]  
No. 66]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 1998/अग्रहायण 25, 1920  
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 1998/AGRAHAYANA 25, 1920

भारतीय प्रेस परिषद्  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1998

मिसिल संख्या 17/9/98-99-पी०सी०आई०.—भारतीय प्रेस परिषद्, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा-26 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अनुपालन करते हुए,—प्रेस परिषद् (बैठकें आयोजित करने एवं कार्य-निष्पादन हेतु प्रक्रिया) विनियम, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

1. इन विनियमों को प्रेस परिषद् (बैठकें आयोजित करने एवं कार्य-निष्पादन हेतु प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 1998 कहा जाये।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
3. प्रेस परिषद् (बैठकें आयोजित करने एवं कार्य-निष्पादन हेतु प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 4-“के उपबंध में, बैठकों में कोरम” निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“परन्तु जहाँ कोरम पूरा न हो, सभा हेतु समय देने के लिए बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जा सकती है हालांकि, कोरम पूरा न होने पर बैठक स्थगित होने के पश्चात् कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा।”

पेम कुमार, सचिव

[सं. विज्ञापन/III/IV/149/98]

पाद टिप्पण : मुख्य विनियम 14 नवम्बर, 1979 को अधिसूचित किये गये।

1498

## PRESS COUNCIL OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1998

**F.No. 17/9/98-99-PCI.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section-26 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Press Council of India hereby makes the following amendment to the Press Council (Procedure for Conduct of Meetings & Business) Regulations, 1979 :

1. These Regulations may be called the Press Council (Procedure for Conduct of Meetings & Business) (Amendment) Regulations, 1998.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Press Council (Procedure for Conduct of Meetings & Business) Regulation 1979, in the proviso to Regulation 4—"Quorum at Meetings", the following proviso shall be substituted :—

"Provided that where there is no quorum, the meeting may be adjourned for an hour to allow time for assembly, so however, that no quorum shall be necessary in respect of the meeting adjourned for lack of quorum".

PREM KUMAR, Secy.

[No. Advt./III/IV/149/98]

**Foot Note :** The Principal Regulations were notified on November 14, 1979.